

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 02.05.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल—12 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा—151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना खरगपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. पारसनाथ पुत्र मंगल प्रसाद नि० विशुनापुर बाजार थाना खरगपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 18 ली० अवैध देशी शराब बरामद कर मु०अ०सं०—115/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 02.05.2021

जानलेवा हमला करने के 04 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 देहात पुलिस ने मु0अ0सं0— 170/21, धारा— 147,148,149,307,325 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 04 वांछित अभियुक्तों— 01. मुन्ना लाल पाण्डे, 02. कौशल पाण्डेय, 03. अजय कुमार पाण्डेय, 04. नौरंग पाण्डेय को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर अभियुक्त नौरंग की निशान देही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया। दिनांक 01.05.2021 को थाना को0 देहात क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम लीलाबभनी में दो पक्षों के मध्य आपसी विवाद हो गया था। जिसमें एक पक्ष के लोगो द्वारा जान से मारने की नियत से द्वितीय पक्ष के लोगो के ऊपर तमंचे से फायर कर दिया था। अभियुक्तगणों को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. मुन्ना लाल पाण्डे पुत्र स्व0 देवता दीन नि0 लीला बभनी थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
02. कौशल पाण्डेय पुत्र मुन्नालाल नि0 लीला बभनी थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
03. अजय कुमार पाण्डेय पुत्र मुन्ना लाल पाण्डेय नि0 लीला बभनी थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
04. नौरंग पाण्डेय पुत्र मुन्नालाल नि0 लीला बभनी थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—170/21, धारा— 147,148,149,307,325 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस 12 बोर।

गिरफ्तारकर्ता टीम:—

उ0नि0 श्री कामेश्वर राय मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 02.05.2021

छेडछाड व मारपीट करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कौड़िया पुलिस ने मु0अ0सं0-66/21, धारा-323, 504, 506,354ख,452 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त हामिद अली को मुखबिर खास की सूचना पर आर्यनगर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. हामिद अली उर्फ ननके पुत्र फारूम नि0 भैरमपुर थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-66/21, धारा-323,504,506,354ख, 452 भादवि थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ0नि0 अजय पाण्डेय मय टीम।